

19

२०/५

पत्रावली पेश। वकील पार्थी हाजिर।
पत्रावली में वकील पार्थी को पूर्व
में भी बार-बार अंतिम हिलायत
की सुची है कि अपार्थीगण
की तामिल की रसीदें पेश करे
लेकिन आज दिनांक तक तामिल

की रसीद पेश नहीं की। अतः प्रार्थी
का आवेदन अन्तर्गत धारा 222 RTI
अन्तर्गत आवेदन ७ नियम 5 के तहत
स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल
शुमार होकर नम्बर से कम होकर
दाखिल दफ्तर हो।

इपखण्ड अधिकारी, दांतरामगढ़